प्रेस विज्ञप्ति

09 .04.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी),हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने दिनांक 26.03.2024 को माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, विशाखापत्तनम के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत खान और भूविज्ञान के तत्कालीन उप निदेशक, यादवल्ली नागा राजा वरा प्रसाद, गुंटूर और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की है। माननीय न्यायालय ने अभियोजन शिकायत का संज्ञान ले लिया है।

ईडी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, आंध्र प्रदेश पुलिस, गुंटूर द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) सपठित 13 (1) (ई) के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज प्राथमिकी और एसपीई और एसीबी मामलों के लिए माननीय विशेष न्यायाधीश की अदालत के समक्ष दायर दिनांक 05.07.2018 के आरोप पत्र सीसी संख्या 23/2018 के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि यादवल्ली नागा राजा वरा प्रसाद ने एक लोक सेवक होने के नाते अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और अपने नाम पर और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर अवैध और भ्रष्ट तरीकों से संपत्ति अर्जित की थी, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से 2.06 करोड़ रुपये अनुपातहीन थे।

ईडी जांच से पता चला है कि श्री यादवल्ली नागा राजा वरा प्रसाद, एक लोक सेवक होने के नाते आंध्र प्रदेश सरकार के विभिन्न पदों में काम करते हुए अवैध तरीकों से भारी

अपराध के आय अर्जित की,जिसका उपयोग उनके और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर घर के लिए ज़मीन(साइट्स), सोने और चांदी के गहने, बैंक लॉकरों में नकद जमा आदि सहित चल / अचल संपत्तियों के अधिग्रहण में किया गया था,जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अनुपातहीन थे |